Act No. 47 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 34 का संशोधन।
3. धारा 35 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

धारा 34 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (1) में, "प्रत्येक सम्पदा के सम्बद्ध राजस्व अधिकारी से" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक सम्पदा के पटवारी से" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, "और राजस्व अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 35 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में, "या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, "या सम्बद्ध राजस्व अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, "यथास्थिति, पटवारी या राजस्व अधिकारी" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "पटवारी" शब्द रखा जाएगा; और

(घ) उपधारा (5) में, "या राजस्व अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष।

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला

शिमला—171004.
दिनांक :14/09/—2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

राज्यपाल।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला—171002.
दिनांक : 20 — 9—2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 25 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 34.
3. Amendment of section 35.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In section 34 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as "the principal Act"),— Amendment of section 34.

(a) in sub-section (1), for the words "by the Revenue Officer concerned for each estate", the words "by the Patwari of each estate" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (3), the words "and the Revenue Officer" shall be omitted.

3. In section 35 of the principal Act,— Amendment of section 35.

(a) in sub-section (1), the words "or the Revenue Officer concerned" shall be omitted.;

(b) in sub-section (2), the words "or the Revenue Officer concerned" shall be omitted.;

(c) in sub-section (3), the words and signs "or the Revenue Officer, as the case may be," shall be omitted.; and

(d) in sub-section (5), the words "or the Revenue Officer" shall be omitted.

मैं, "हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 25)" के **उपर्युक्त** अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 25)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।